उत्तर प्रदेश शासन

उद्यान अनुभाग

संख्या-16/2016/833/58-2016-60/2016

लखनऊ:दिनांक: 16 मार्च, 2016

<u>शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लेखाशीर्षक-4401-119-03-0310- जिला उद्यान अधिकारी, कौशाम्बी के मुख्य भवन के ठीक सामने एवं गेस्ट हाउस के सामने इन्टरलाकिंग का निर्माण की योजना के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 473 हजार को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-12/2016-720/58-2016-60/2016, दिनांक- 08.03.2016 के पृष्ठांकन के क्रमांक-6 पर अंकित उप निदेशक, उद्यान कौशाम्बी के स्थान पर उप निदेशक, उद्यान, इलाहाबाद पढ़ा जाये।

उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक- 08.03.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष यथावत रहेगा।

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)

अनु सचिव।

<u>संख्या:16/2016-833(1)/58-2016, तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
4- कोषाधिकारी, कौशाम्बी।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
7- उप निदेशक, उद्यान, इलाहाबाद।
8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in